05/01/26 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुयी। वकलाय फरिकैन उपस्थित पत्रावली का अध्ययन किया तथा वकलाय फ़रि. बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीणा–II (आर ए एस)
राजस्व वाद संख्या :– 140 / 2015
दायर दिनांक :– 28.10.2015
निर्णय दिनांक :– ०५·०१·२०२६

उनवान

1. राजबाला पत्नी धर्मपाल जाति अहीर निवासी जटगौंवड़ा तहसील बहरोड़।
2. देवकी पुत्री धर्मपाल जाति अहीर निवासी जटगौंवड़ा तहसील बहरोड़
3. वेदकला पुत्री धर्मपाल जाति अहीर निवासी जटगौंवड़ा तहसील बहरोड़
4. शर्मिला पुत्री धर्मपाल जाति अहीर निवासी जटगौंवड़ा तहसील बहरोड़
5. पुनम पुत्री धर्मपाल जाति अहीर निवासी जटगौंवड़ा तहसील बहरोड़।
6. देवरथ पुत्र धर्मपाल जाति अहीर निवासी जटगौंवड़ा तहसील बहरोड़। ......वादी

बनाम

1. हीरालाल पुत्र दाताराम जाति अहीर निवासी नांगलकौंठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
2. उपं पजीयक बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़।
3. हीरालाल पुत्र छबिल जाति अहीर निवासी जटगौंवडा तहसील बहरोड़। ....प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक घोषणात्मक
एवं हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री रामपाल शर्मा अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विनोद कुमार यादव अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेष हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.92 ऐयर जिसका गत खसरा नम्बर 125 रकबा 4 बीघा वाके मौजा जटगौंवडा तहसील बहरोड़ का काबिज खातेदार काश्तकार छबीला पुत्र जयसा अहीर निवासी जटगौंवडा था जिसका देहान्त हो चुका है। छबीला ने अपने जीवन काल में वादीगण के पिता धर्मपाल को दिनांक 13.04.1966 को गोद लिया था जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा किया था। मृतक छबीला की समस्त चल अचल सम्मपती को मालिक धर्मपाल हो गया। विवादित आरजी भी छबीला की मृत्यु के बाद जरिये इन्तकाल वादीगण के पिता व पति के नाम हो गई। नक्ल जमाबन्दी संवत 2036 पेश है। हाल सैटलमेन्ट विभाग ने खिलाफ कानून खिलाफ मौका प्रतिवादी हिरालाल का उपरोक्त आरजी में 1/2 भाग गलत

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

दर्ज कर दिया। जो वादीगण के अधिकारो के प्रति बातील व बेअसर है। वादीगण के पिता व पती का देहान्त दिनांक 16.06.1997 को हुआ है। उपरोक्त गलत इन्द्राजात का पता लगने पर वादीगण ने प्रतिवादी को उक्त दुरूस्ती हेतु कहाँ तो प्रतिवादी 25.02.2007 से साफ इन्कार हो गया। दावा इस्तकरार हक श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि आरजी खसरा नम्बर गत 125 रकबा 4 बीघा हाल खसरा नम्बर 229 रकबा 92 ऐयर वाके मौजा जटगॉवडा से प्रतिवादी का नाम कलमजन कर वादीगण को खलिम पर बतोर खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी को डिक्री हुक्मदन्मतनाई दवामी से पाबन्द किया जावे।

वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को द्वारा सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 01 ने दिनांक 22.08.2007 को जवाब पेश किया है कि मिन प्रतिवादी अपने नाना छबीला के पास शुरू से ही रहा था। छबीला की बिरासत का इन्तकाल अपनी सहमति से 1/2 भाग का मेरे नाम से व 1/2 भाग का दन्तकाल धर्मपाल भाई के नाम करवा लिया था। धर्मपाल कि मृत्यु के बाद यह दावा झुठा पेश किया है। जो चलने योग्य नही है। दावा मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे नकल नोटिस 80 सीपीसी प्रदर्श–1, रसीद पोस्ट ऑफिस प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत 2036 ग्राम जटगॉवडा प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत 2062–2065 ग्राम जटगॉवडा प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफन संवत 2042 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी ग्राम नांगल काठा हरियाणा प्रदर्श–6, पेष की गई।
वादगत विवादित आराजी कि निम्न प्रकार से तनकी कायम की गई।

1. आया वादीगण गत खसरा नम्बर 125 रकबा 4 बीघा हाल खसरा नम्बर 229 रकबा 0.92 है. वाके मौजा जटगॉवडा के खातेदार काश्तकार काबिज है ?जिम्मे वादी
2. आया हाल इन्द्राजात कागजात माल बहक प्रतिवादी सख्या 01 का 1/2 भाग पर नाम गलत खिलाफ खिलाफ कानून खिलाफ मौका है ? जिम्मे वादी
3. आया वादीगण डिक्री हुक्मईम्तनाई दवामी प्राप्त करने के अधिकारी है ? जिम्मे वादीगण
4. आया वादीगण गैर काबिज है इसलिए वाद पत्र चलने योग्य नही है ? जिम्मे प्रतिवादी
5. आया गोदनामा प्रभाव शुन्य है ? जिम्मे प्रतिवादी
6. आया दावा मियाद बाहर है जो काबिल खारिज है ? जिम्मे प्रतिवादी

वादी ने अपने समर्थन में देववर्थ पुत्र धर्मपाल , सत्यवीर पुत्र धीसाराम ,राजबाला पत्नी धर्मपाल, दयाराम पुत्र रामरूवरूप के शपथ पत्र पेश किये।

दिनांक 20.05.2025 को प्रतिवादी नम्बर 01 के वारिसान ने अपना राजीनामा पेष किया जो बाद तस्दीक संलग्न किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जसरोड कोटपूतली-बहरोड़

हमने वादीगण के वकील की बहस सुनी पत्रावली का अध्ययन किया। चुकि पत्रावली में राजीनामा पेष हो चुका है। निर्णय में कोई विसंगति नही रहे। सभी तनकियात का एक साथ निम्न प्रकार से निर्णय विरचित किया जाता है।

विवादित आराजी खसरा नम्बर साबिक 125 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम जटगॉवडा तहसील बहरोड का धर्मपाल पि0 मु0 साकिन देह अहीर खातेदार दर्ज है। छबीला ने अपने जीवन काल में वादीगण के पिता धर्मपाल को दिनांक 13.04.1966 को गोद लिया था जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा की छाया प्रति संलग्न है। गोद लिया था। मृतक छबीला की समस्त चल अचल सम्पत्ती को मालिक धर्मपाल हो गया। विवादित आरजी भी छबीला की मृत्यु के बाद जरिये इन्तकाल वादीगण के पिता व पति के नाम हो गई । नक्ल जमाबन्दी संवत 2036 पेश है। संवत 2042 में भू–प्रबन्ध विभाग ने आरजी खसरा नम्बर गत 125 रकबा 4 बीघा का हाल खसरा नम्बर 229 रकबा 92 ऐयर वाके मौजा जटगॉवडा बनाया जाकर मुताबिक जमाबन्दी प्रदर्श–4 हिरालाल पुत्र छबिला हिस्सा 1/2 अहीर साकिन देह दर्ज कर दिया। जो साबिक के विरूद्व हाल रिकार्ड में गलत इन्द्राज किया गया है। जिसके संशोधन हेतु मृतक हिरालाल के वारिसान ने अपना राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत है। जो बाद तस्दीक शामिल मिसल है जिस सूरत में मृतक प्रतिवादी का नाम कलमजन कर वादीगण को सालिम पर बतोर खातेदार दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

–: आदेश :–

अतः डिक्री इस्तकरार हक घोषणात्मक इस आशय कि जारी कि जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.92 है0, वाके ग्राम जटगॉवडा तहसील बहरोड़ के 1/2 भाग से प्रतिवादी सं० 1 हीरालाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को सालिम का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। इसी कदर पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 05.01.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

([illegible]किशोर मीणा–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 140 / 2015
दायर दिनांक :– 28.10.2015
निर्णय दिनांक :– 05.01.2026

उनवान

1. राजबाला पत्नी धर्मपाल जाति अहीर निवासी जटगॉवडा तहसील बहरोड़।
2. देवकी पुत्री धर्मपाल जाति अहीर निवासी जटगॉवडा तहसील बहरोड
3. वेदकला पुत्री धर्मपाल जाति अहीर निवासी जटगॉवडा तहसील बहरोड
4. शर्मिला पुत्री धर्मपाल जाति अहीर निवासी जटगॉवडा तहसील बहरोड
5. पुनम पुत्री धर्मपाल जाति अहीर निवासी जटगॉवडा तहसील बहरोड।
6. देवरथ पुत्र धर्मपाल जाति अहीर निवासी जटगॉवडा तहसील बहरोड। ....वादी

बनाम

1. हीरालाल पुत्र दाताराम जाति अहीर निवासी नांगलकॉठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
2. उपं पजीयक बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड।
3. हीरालाल पुत्र छबिल जाति अहीर निवासी जटगॉवडा तहसील बहरोड़। ....प्रतिवादीगण

**दावा बाबत इस्तकरार हक घोषणात्मक
एवं हुक्म इम्तनाई दवामी**

उपस्थित :–

1. श्री रामपाल शर्मा अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विनोद कुमार यादव अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेष हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। डिक्री इस्तकरार हक घोषणात्मक इस आशय कि जारी कि जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.92 है0, वाके ग्राम जटगॉवडा तहसील बहरोड़ के 1/2 भाग से प्रतिवादी सं० 1 हीरालाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को सालिम का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 05.01.2026 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)